



2026:AHC:39565

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट ए संख्या - 2624/2026

ऋषि राज सिंह

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : धर्मेन्द्र प्रताप सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र प्रताप सिंह तथा राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता (स्टैंडिंग काउंसल) श्री आर.एस. उमराव को सुना गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि रिट याचिकाकर्ता की नियुक्ति पुलिस कांस्टेबल के पद पर दिनांक 04.12.2015 को हुई थी, तथापि, उसे दिनांक 18.10.2025 पर निलंबित कर दिया गया, तत्पश्चात विभागीय जांच संचालित की गई, फिर रिट याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल (रीइनस्टेटेड) कर दिया गया और जांच भी समाप्त हो गई, तथापि, अब रिट याचिकाकर्ता को दिनांक 04.02.2026 पर स्थानांतरित कर दिया गया है और उसे पुलिस कांस्टेबल, शामली से चंदौली के पद से मुक्त (रिलीव) कर दिया गया है।

3. स्थानांतरण तथा मुक्त करने के आदेश को चुनौती देते हुए, रिट याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका दायर की है।

4. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि विवादित स्थानांतरण आदेश कायम नहीं रखा जा सकता है, विशेषकर जब एक बार रिट याचिकाकर्ता के विरुद्ध जांच में कुछ भी नहीं पाया गया था, तो रिट याचिकाकर्ता के करियर को ठीक करने और खतरे में डालने के लिए, रिट याचिकाकर्ता को स्थानांतरित किया गया है।

5. विद्वान राज्य सरकार के अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि स्थानांतरण आदेश के सीधे अवलोकन से पता चलेगा कि यह प्रशासनिक आवश्यकता में है और प्रश्नगत आदेश से यह प्रकट नहीं होता है कि विवादित स्थानांतरण दंड के रूप में पारित किया गया है। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि रिट याचिकाकर्ता के दावे के निर्धारण की आवश्यकता पहले दूसरे प्रतिवादी, अपर पुलिस अधीक्षक वर्तमान में पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा की जानी है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



6. ऐसे प्रस्तुतीकरण पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और वह इसे सादर स्वीकार करते हैं।

7. प्रतिवादी पक्षकारों के प्रस्तुतीकरणों तथा उनके द्वारा उठाए गए रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण रिट याचिकाकर्ता को दूसरे प्रतिवादी के समक्ष रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति के साथ एक व्यापक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता देते हुए किया जा रहा है, जो उसके प्राप्त होने पर दो सप्ताह की अवधि के भीतर, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के दावे पर विधि के अनुसार सख्ती से निर्णय करने के लिए आगे बढ़ेगा। यदि दूसरा प्रतिवादी इस राय का है कि मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, तो अभिलेख उसी को प्रेषित कर दिए जाएंगे।

8. उपरोक्त टिप्पणी के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

23 फरवरी, 2026

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”